

// गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिनासपुर १५०१०१ //

क्रमांक 1936 /स्था./प्रशा./07

बिनासपुर, दिनांक 04/01/07

आदेश

विश्वविद्यालय परिनियम 31 §21§ के प्रावधानानुसार श्री अमित जैन व्याख्याता प्रौद्योगिकी संस्थान गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिनासपुर को दिनांक 04.01.07 से शासन द्वारा स्वीकृत दर से गृह भाड़ा भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आदेशानुसार

*M. K. Khari*

उप-कुलसचिव प्रशासन

बिनासपुर, दिनांक 04/01/07

पु.क्रमांक 1937 /स्था./प्रशा./07

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जो के अवलोकनार्थ ।
02. वित्ताधिकारी, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिनासपुर को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
03. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिनासपुर को ओर सूचनार्थ ।
04. श्री अमित जैन व्याख्याता प्रौद्योगिकी संस्थान को सूचनार्थ ।
05. निजी नस्ती ।

*Madhu*  
सहायक कुलसचिव प्रशासन



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

क्रमांक...1171...../स्था./प्रशा./09

बिलासपुर, दिनांक 28/03/09

## आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 35 के अन्तर्गत परिनियम 31 के अधीन श्री अमित जैन, व्याख्याता (केमिकल इंजी.) प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) की परिवीक्षा अवधि समाप्त करते हुये वेतनमान रु. 8000-275-13500/- में मूलवेतन रु. 8000/- में रु.275/-की वार्षिक वेतनवृद्धि क्रमशः दिनांक 04.01.2008 एवं 04.01.2009 से स्वीकृत की जाती है। इस वृद्धि से इनका मूलवेतन दिनांक 04.01.2008 से रु. 8275/- तथा दिनांक 04.01.2009 से रु. 8550/- हो जावेगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (प्रशासन)

बिलासपुर, दिनांक 28/03/09

पृ.क्र...1172...../स्था./प्रशा./2009

प्रतिलिपि:

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
02. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. वित्ताधिकारी/आंतरिक आवासीय संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. श्री अमित जैन, व्याख्याता (केमिकल इंजी.) प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. निजी नस्ती/कार्यालय प्रति।

सहा. कुलसचिव (प्रशासन)